भारत सरकार

के लिए

नागरिक/ग्राहक चार्टर

(भूमि संसाधन विभाग)

(2014-15)

पता : एनबीओ बिल्डिंग, जी विंग, निर्माण भवन,
मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली - 110011

वेबसाइट आईडी : www.dolr.nic.in

जारी करने की तारीख : मई, 2015

अगली समीक्षा : जुलाई, 2015

दृष्टिकोण मिशन

दृष्टिकोण

वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि का इष्टतम उपयोग और सतत उत्पादकता सुनिश्चित करना। दक्ष भूमि सूचना प्रणाली (एलआईएस) के आधार पर प्रभावी भूमि उपयोग प्रणाली की व्यवस्था करना।

मिशन

सहभागी वाटरशेड विकास दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षासिंचित/अवक्रमित भूमि की उत्पादकता तथा आजीविका के अवसर बढ़ाना। निश्चायक स्वामित्वाधिकार प्रणाली शुरू करने के उद्देश्य से दक्ष भूमि उपयोग नीति सहित प्रभावी कृषि सुधार, और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (एलआरएमएस) की व्यवस्था करना।

मुख्य सेवाएं/संव्यवहार

क्र. सं.	सेवाएं/ संव्यवहार	अधिमान प्रतिशतता	जवाबदेह अधिकारी (पदनाम)	ई-मेल	मोबाइल (फोन नं0)	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								श्रेणी	पद्धति	राशि
1	समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत सभी राज्यों के लिए वार्षिक अनंतिम लक्ष्यों का निर्धारण	15.0	श्री जगदीश सिंह, उपमहानिरीक्षक (डब्ल्यूएम)	singh.jd@nic.in	9868880229 (24362569)	• राज्यों के लिए अनुमोदित अधिमान मानदंड के आधार पर प्रस्ताव तैयार करना। • सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन। • राज्यों को आबंटन के बारे में सूचित करना।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	0
2.	आईडब्ल्यूएमपी के तहत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों (एसएलएनए) से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन	20.0	श्री जगदीश सिंह, उपमहानिरीक्षक (डब्ल्यूएम)	singh.jd@nic.in	9868880229 (24362569)	• राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति • कार्यक्रम अधिकारियों उपमहानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक (डब्ल्यूएम), निदेशक (डब्ल्यूएम) और उपायुक्त (डब्ल्यूएम) द्वारा संविक्षा • सचिव (भूमि संसाधन) की अध्यक्षता में संचालन समिति नामक एक बहुविधा समिति, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ शामिल हों, द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन। • समिति की सिफारिशों के बारे में राज्यों को वेबसाइट और डाक के जरिए सूचित करना।	• राज्य संदर्शी एवं कार्यनीतिपरक योजना (एसपीएसपी) (एकबार) • प्रांरभिक परियोजना रिपोर्टों (पीपीआर) के साथ वार्षिक प्रस्ताव। • राज्यों द्वारा संचालन समिति के समक्ष इसके विचारार्थ एक प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण, जिसमें पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में की गई प्रगति की समीक्षा शामिल हो।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
3.	आईडब्ल्यूएमपी के तहत एसएलएनए से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय सहायता जारी करना	30.0	श्री जगदीश सिंह, उपमहानिरीक्षक (डब्ल्यूएम), (आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड)	singh.jd@nic.in Premkumar.jha@nic.in	9868880229 (24362569)	• वित्तीय सहायता के केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए एसएलएनए से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति । • कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा कार्रवाई और संयुक्त सचिव (डब्ल्यूएम) द्वारा अनुमोदन। • एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) की सहमति। • कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा रिलीज आर्डर जारी करना और वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा धनराशि जारी करना।	<u>प्रथम किस्त के लिए</u> • एसएलएनए से स्वीकृति आदेश। • परियोजनाओं की विस्तृत सूची • एसएलएनए से इस बात का प्रमाण-पत्र कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी संतोषजनक है।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

			श्री प्रेम कुमार झा, उप महानिरीक्षक (नीरांचल) (ओड़िशा, राजस्थान, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) डॉ0 सी. पी. रेड्डी, उपायुक्त (डब्ल्यूएम) (छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) श्री अमित कुमार, निदेशक (डब्ल्यूएम) (हिमाचल प्रदेश, बिहार)	drcpreddy@nic.in Amit.kumarkarn@nic.in			<u>बाद की किसी भी किस्त के लिए</u> • परियोजनाओं की वास्तविक और वित्तीय प्रगति • उपयोग प्रमाण-पत्र • लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण • कोई भी अन्य दस्तावेज, जो जारी करने के समय आवश्यक समझा जाए।			
4.	रा ष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के क्रियान्वयन के	15.0	श्री बी.बी. पटेल, निदेशक, (एलआर)	Bibhuti.patel@.nic.in	09868011909 23062698	• वित्तीय सहायता के केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति। • प्रभाग द्वारा प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति एव निगरानी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु कार्रवाई करना तथा	• राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संदर्शी योजना (एसपीपी) (एकबार) • विनिर्धारित प्रोफार्मा में वार्षिक प्रस्ताव • पूर्व में जारी की गई	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

	लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता					राज्यों को संशोधन, यदि अपेक्षित हों, के लिए सलाह देना। • एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) की सहमति। • प्रभाग द्वारा रिलीज आर्डर जारी करना और वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा धनराशि जारी करना।	निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र सहित वास्तविक और वित्तीय प्रगति।			
5.	एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ स्थापित करने कि लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों/पटवारी प्रशिक्षण विद्यालयों को वित्तीय सहायता	10.0	श्री बी.बी. पटेल, निदेशक, (एलआर)	Bibhuti.patel@.nic.in	09868011909 (23062698)	• वित्तीय सहायता के केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति। • प्रभाग द्वारा प्रस्तावों को परियोजना स्वीकृति एव निगरानी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु कार्रवाई करना तथा राज्यों को संशोधन, यदि अपेक्षित हों, के लिए सलाह देना। • एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) की सहमति। • प्रभाग द्वारा रिलीज आर्डर जारी करना और वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा धनराशि जारी करना।	• विनिर्धारित प्रोफार्मा में वार्षिक प्रस्ताव • पूर्व में जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र सहित वास्तविक और वित्तीय प्रगति।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
6.	शीघ्र शिकायत निवारण	10.0	श्री के. उन्नीकृष्णन, निदेशक (प्रशासन, जीसी एवं संसद)	unni.dgca@nic.in	9911450333 (23063271)	• पावती देना। • यदि अपेक्षित हो तो मध्यवर्ती प्रगति से अवगत कराना। • प्रत्येक शिकायत को अंतिम रूप से बंद करने की सूचना देना।		लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

सेवा-मानक

क्र. सं.	सेवाएं/संव्यवहार	अधिमान	सफलता सूचक	सेवा मानक	इकाई	अधिमान	डाटा स्रोत
1.	समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत सभी राज्यों के लिए वार्षिक अनंतिम लक्ष्यों का निर्धारण	15.0	पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के 31 मार्च से पहले	20.03.2015	तारीख	15.00	मंत्रालय रिकॉर्ड – अनंतिम आबंटन से संबंधित संगत फाइल
2	आईडब्लयूएमपी के तहत राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों (एसएलएनए) से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन	20.0	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	30	दिन	20.00	प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एफटीएस), संचालन समिति के कार्यवृत्त के जारी होने की तारीख
3	आईडब्लयूएमपी के तहत एसएलएनए से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में वित्तीय सहायता जारी करना	30.0	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	45	दिन	30.00	प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, संगत, फाइलों में यथा उल्लिखित स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख
4	राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता	15.0	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	45	दिन	15.00	प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, संगत, फाइलों में यथा उल्लिखित स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख
5	एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/ सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थानों/ पटवारी प्रशिक्षण विद्यालयों को वित्तीय सहायता	10.0	राज्यों से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति की तारीख से लिया गया औसत समय	45	दिन	10.00	प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम, संगत, फाइलों में यथा उल्लिखित स्वीकृति आदेश जारी होने की तारीख
6	शीघ्र शिकायत निवारण	10.0	सीपीग्राम पोर्टल/पोस्ट के जरिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त शिकायत की पावती देने में लिया गया औसत समय	5	कार्य दिवस	3.00	http://pgportal.gov.in और शिकायत प्राप्ति, और निपटान की तारीख के लिए फाइल ट्रैकिंगसिस्टम
			यदि शिकायतकर्ता, की गई मध्यवर्ती प्रगति के बारे में जानकारी मांगता है तो वह जानकारी देने में लिया गया औसत समय	15	कार्य दिवस	3	http://pgportal.gov.in और शिकायत प्राप्ति, और निपटान की तारीख के लिए फाइल ट्रैकिंगसिस्टम
			मामले में अंतिम निर्णय लेने की तारीख से शिकायत को अंतिम रूप से बंद करने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिया गया समय	10	कार्य दिवस	4	http://pgportal.gov.in और शिकायत प्राप्ति, और निपटान की तारीख के लिए फाइल ट्रैकिंगसिस्टम
	योग	100				100	

शिकायत निवारण तंत्र **शिकायत दर्ज कराने हेतु वेबसाइट का यू.आर.एल.- http://pgportal.gov.in /**

(क)

क्रम सं.	जन शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल (फोन नम्बर)
1.	श्री के.उन्नीकृष्णन, निदेशक (प्रशासन, जीसी एवं संसद)	23063271	unni.dgca@nic.in	9911450333 (23063271)

(ख)

भूमि संसाधन विभाग में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति गठित की गई है। स्टाफ की कोई भी महिला सदस्य जिसे यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत है तो वह समिति को अपनी याचिका दे सकती है। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों/विशेषज्ञों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	संपर्क विवरण
1.	श्रीमती वंदना कुमारी जेना, सचिव (एलआर)	अध्यक्ष	कमरा नं0 12, जी 'विंग' एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन नई दिल्ली
2.	डॉ0 संदीप दवे, संयुक्त सचिव (प्रशासन, डब्ल्यूएम)	सदस्य	कमरा नं0 110 जी 'विंग' एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन नई दिल्ली
3.	श्री के. उन्नीकृष्णन, निदेशक (प्रशासन, जीसी एवं संसद)	सदस्य	कमरा नं0 108 जी 'विंग' एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन नई दिल्ली
4.	श्रीमती सरोज जैसिया, उप सचिव (एमएंडई)	सदस्य	कमरा नं0 007 जी 'विंग' एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन नई दिल्ली
5.	श्रीमती सरिता कुमारी, उप सलाहकार (एलआर)	सदस्य	कमरा नं0 107 जी 'विंग' एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन नई दिल्ली
6.	सुश्री नन्दिता राव, अधिवक्ता	विशेषज्ञ	जे-152 साकेत, नई दिल्ली - 110017

हितधारकों/ग्राहकों की सूची

क्रम सं.	हितधारक/ग्राहक
1	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र विभाग
2	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां (एसएलएनए)
3	वाटरशेड प्रकोष्ठ-सह-डाटा केन्द्र (डब्लयूसीडीसी)
4	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए)
5	वाटरशेड विकास दल (डब्ल्यूडीटी)
6	पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई)
7	वाटरशेड समितियां (डब्ल्यूसी)
8	स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और प्रयोक्ता समूहों (यूजी) सहित वाटरशेड क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति
9	प्रशिक्षण संस्थान
10	राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए)
11	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)
12	केन्द्र सरकार के मंत्रालय/ विभाग
13	स्वायत्त निकाय
14	गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)
15	प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (एटीआई)/ सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान (एसटीआई)/ पटवार प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस)

उत्तरदायी केन्द्र तथा अधीनस्थ संगठन

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र तथा अधीनस्थ संगठन	लैंड लाइन नम्बर	ई-मेल	मोबाइल नम्बर	पता
1.	इस विभाग का कोई उत्तरदायी केन्द्र अथवा अधीनस्थ संगठन नहीं है।	-	-	-	-

सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षाएं

क्रम सं.	सेवा प्राप्तकर्ताओं से निर्देशात्मक अपेक्षाएं
1	राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांतों (www.dolr.nic.in पर उपलब्ध) के अनुसार राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) तथा अन्य संस्थागत संरचनाएं स्थापित करनी चाहिए तथा एसएलएनए के जरिए वाटरशेड परियोजनाओं के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए।
2	राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन संस्थाओं में सभी खाली पद भर दिए गए हैं और तैनात किए गए कार्मिक को बार-बार स्थानांतरित नहीं किया जाता है ताकि उन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए समुचित समयावधि मिल सके, और यह कि विशेषज्ञता/अनुभव तथा कार्य के स्वरूप के बीच सह-संबंध हो।
3	राज्य सरकारों को नियमित रिपोर्ट और रिटर्न प्रस्तुत करनी चाहिए और इस प्रयोजनार्थ व्यय सहित वित्तीय और वास्तविक डाटा के संबंध में पोर्टल वेबसाइट पर राज्य/केन्द्रीय डाटा बेस को तत्काल अद्यतन करना चाहिए।
4	एसएलएनए को ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयार की गई योजनाओं के आधार पर राज्य के लिए वाटरशेड विकास की संदर्शी तथा कार्यनीति परक योजना तैयार करनी चाहिए और कार्यान्वयन कार्यनीति तथा संभावित प्राप्ति/परिणाम, वित्तीय परिव्यय दर्शाना चाहिए तथा जिलों द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) के साथ भूमि संसाधन विभाग को प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि संचालन समिति परियोजनाओं का मूल्यांकन करके इन पर अनापत्ति दे सके।
5	एसएलएनए को संचालन समिति द्वारा आकलित परियोजनाओं के आधार पर राज्य के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करनी चाहिए और राज्य का हिस्सा समय पर जारी करना चाहिए।
6	एसएलएनए को डब्ल्यूसीडीसी और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को वित्तीय स्वीकृति की सूचना देनी चाहिए और उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
7	एसएलएनए को स्वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में तकनीकी रूप से उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए और भूमि संसाधन विभाग को वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए।
8	एसएलएनए को समय-समय पर परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
9	एसएलएनए को ऑन-लाइन मॉनीटरिंग सहित विभिन्न स्तरों पर निगरानी, मूल्यांकन और शिक्षण प्रणालियां स्थापित करनी चाहिए।
10	एसएलएनए को भूमि संसाधन विभाग/राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण/संसाधन संगठनों के परामर्श से राज्य विशिष्ट प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धांत, तकनीकी मैनुअल आदि तैयार करने चाहिए तथा उन्हें लागू करना चाहिए।
11	एसएलएनए/राज्य सरकार को डीडीपी, डीपीएपी, आईडब्ल्यूडीपी और आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने हेतु पूर्ण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। पूर्ण प्रस्ताव का अर्थ वाटरशेड प्रभाग द्वारा समय-समय पर जारी मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित सभी दस्तावेजों सहित एसएलएनए/राज्य से प्राप्त ऐसे प्रस्ताव से होगा जो एकीकृत वित्त प्रभाग को एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार्य हो तथा जो आगे और कोई ब्यौरा अथवा स्पष्टीकरण मांगे बिना वित्तीय सहमति के योग्य हो।

12	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एनएलआरएमपी के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संदर्शी योजना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करना चाहिए।
13	राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों और एनएलआरएमपी प्रकोष्ठ/ केन्द्र के लिए निधियां जारी करने के अनुरोध के पूर्ण प्रस्तावों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना चाहिए। एनएलआरएमपी के अंतर्गत पूर्ण प्रस्ताव का अर्थ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व विभाग से निर्धारित प्रोफार्मा में सभी अपेक्षित दस्तावेजों और भूमि सुधार प्रभाग द्वारा समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचना सहित प्राप्त प्रस्ताव से होगा।
14	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएलआरएमपी के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर निधियां (केन्द्र और राज्य का हिस्सा) जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।
15	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और स्कीम की अपेक्षाओं के अनुसार समय पर मंत्रालय को रिपोर्ट/रिटर्न प्रस्तुत करनी चाहिए और साथ ही व्यय सहित वित्तीय एवं वास्तविक डाटा के संबंध में राज्य और केन्द्रीय डाटाबेसों को अद्यतन करना चाहिए।
16	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएलआरएमपी की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन सुनिश्चित करना चाहिए तथा इसकी नियमित बैठकें आयोजित करनी चाहिए।